न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/501

सुशीला बाई पुत्री श्री भंवरिया पत्नी श्री नरसिंह जाति चमार निवासी ग्राम गन्दीफली कैथून तसहील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी पुराने अस्पताल के पास, मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी नामालूम पुत्री धन्ना लाल मीणा निवासी पुराने अस्पताल के पास मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. हंसराज पुत्र नामालूम माता स्व0 पुष्पाबाई मीणा ।
   1/2. मृतक बाबूलाल पुत्र नामालूम माता स्व0 पुष्पाबाई मीणा जरिये कायममुकामान :–
   1/2/1. मनभर बाई पत्नी स्व0 बाबूलाल ।
   1/2/2. दीपक पुत्र स्व0 बाबूलाल ।
   1/2/3. चौथमल पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासीगण पुराने अस्पताल के पास मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/3. चन्द्रकला बाई पत्नी पप्पू जी पुत्री नामालूम माता स्व0 पुष्पाबाई निवासी ग्राम भंवरिया सरपंच साहब के माकन के पास मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मांगी बाई पुत्री भंवरियॉ उर्फ भंवर लाल जाति चमार निवासी ग्राम पुराने अस्पताल के पास ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. नटी बाई (पूर्व पत्नी) पत्नी स्व0 भंवरिया निवासी ग्राम देयिाहेडी अन्ता जिला बारां ।
4. जियाउद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन
5. मोईनुद्दीन पुत्र नईमुद्दीन
6. मोहम्मद साकिब पुत्र नईमुद्दीन
7. नईमुद्दीन पुत्र नामालूम निवासीगण केसरबाग, पुलिस लाईन बजरंग नगर, कोटा ।
8. नैवलाल ।
9. मदन लाल
10. अशोक पिसरान स्व0 पन्ना लाल
11. पुष्पाबाई बेवा पन्ना लाल
12. संतोष बाई
13. जशोदा पुत्रियॉ पन्ना लाल निवासीगण ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. हरीशंकर मेहरा पुत्र जगन्नाथ निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री योगेन्द्र सिनोर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जावेद इकबाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 22.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 29.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 188 एवं 42 बी के अन्तर्गत ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 244, 181, 182, 441 मि0, 441 मिन कुल 04 किता की 35 बीघा 04 बिस्वा भूमि जिसके बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 143 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.46 हैक्टर व खसरा नम्बर 635 रकबा 1.23 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 4.48 हैक्टर कायम किये गये हैं के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है और उसे उसके हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि पर उसे कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, बेचान रहन व अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

3. तत्पश्चात् वादी सुशीला बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.01.2017 दो प्रार्थना पत्र एक अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी एवं दूसरा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित एक वाद संख्या 311/09 पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.12.2013 को निस्तारित किया जा चुका है जिसमें प्रार्थिया पक्षकार नहीं थी इस प्रकार उसे प्रकरण में सुनवाई का अवसर नहीं मिला है । प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होते हुए भी अन्य व्यक्तियों को बेचान हो चुका है वर्तमान में विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार जियाउद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, मोईनुद्दीन पुत्र नईमुद्दीन जाति मुसलमान मोहम्मद साकिब पुत्र नईमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी कोटा हैं जिनको इस वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है साथ ही पन्ना लाल के समस्त कायममुकामान भी इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त व्यक्ति को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 का निधन दिनांक 26.10.2016 को हो चुका है । प्रतिवादी क्रम 1 का नाम डिलिट किया जाकर उसके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2017 के द्वारा वादी सुशीला बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पर निर्णय पारित करते समय रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होने से दावा खारिज करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 29.08.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट सुशीला बाई ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कानूनन किसी वादपत्र को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही खारिज किया जा सकता है या फिर सुनवाई के बाद मेरिट पर वाद खारिज किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे किसी प्रार्थना पत्र के बिना ही मनमर्जी से आरबीट्रेरी रूप से विधि के विपरीत वाद को खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त समान पक्षकारों, समान विषयवस्तु एवं समान परिस्थितियों में लागू होता है जबकि अपीलान्ट पूर्व वाद में पक्षकार नहीं रही है ना ही

अपीलान्ट को उक्त वाद की पूर्व से कोई जानकारी रही है । ऐसी स्थिति में प्रकरण में रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया और उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र के साथ दो विक्रय पत्रों की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं । एक विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2016 को पंजीकृत हुआ है और दूसरा विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2015 को पंजीकृत हुआ है पेश किये दस्तावेज प्रमाणित प्रतियॉ नहीं हैं इस कारण इन्हें अपील की स्टेज पर रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का खारिज किया जाता है ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेसजूडीकेटा के आधार पर दावा खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है । पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं आदेश 22 नियम 04 सीपसी पर आदेश के लिए लम्बित है और सीपीसी का उल्लंघन करते हुए धारा 11 सीपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज किया है । अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है । कानूनन दावे को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही खारिज किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे किसी प्रार्थना पत्र के बिना ही मनमर्जी से आरबीट्रेरी रूप से विधि के विपरीत वाद को खारिज कर दिया । रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त समान पक्षकारों, समान विषयवस्तु एवं समान परिस्थितियों में लागू होता है जबकि अपीलान्ट पूर्व वाद में पक्षकार नहीं रही है ना ही अपीलान्ट को उक्त वाद की पूर्व से कोई जानकारी रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 4 मांगीबाई दोनों भंवरिया की पुत्रियॉ हैं । आराजी का इंतकाल वादिनी और प्रतिवादी क्रम 4 के पक्ष में खोला गया था परन्तु सेटलमेंट से मिली भगत कर इस आराजी को प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 के पति बाबूलाल के नाम दर्ज करवा लिया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरटी 2010 (1) पेज 89 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । पूर्व में इसी वादग्रस्त आराजी के बाबत् दावा पेश किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 20.12.2013 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया गया था । उक्त आदेश की प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 10.12.2015 को निर्णय पारित किया गया है और द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में लम्बित है । इन तथ्यों का वादिनी ने कोई उल्लेख नहीं किया है । वादिनी का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित है तो वह माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो

निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी अपीलान्ट के द्वारा स्वयं को भंवरिया की पुत्री बताते हुए वादग्रस्त आराजी में हक, घोषणा का दावा पेश किया गया है । दावा प्रतिवादीगण क्रम 1, 2 व 4 के जवाबदावे में लम्बित था इसी बीच वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी एवं दूसरा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का पेश किया जिसकी बहस के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दावा को रेसजूडीकेटा से बाधित मानते हुए खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय में अभी प्रतिवादीगण क्रम 1, 2 व 4 का जवाबदावा पेश नहीं हुआ है । प्रतिवादी क्रम 3 के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें रेसजूडीकेटा के बिन्दु को नहीं उठाया गया है और शेष प्रतिवादीगण के द्वारा भी जवाबदावा पेश नहीं किया गया है । जवाबदावा पेश करने के उपरान्त इस बिन्दु पर तनकी कायम की जा सकती है – कि दावा रेसजूडीकेटा से बाधित है अथवा नहीं ? इसके उपरान्त ही विधि सम्मत रूप से ही इस तनकी का निस्तारण करते हुए न्यायालय विनिश्चय कर सकता है कि वाद रेसजूडीकेटा से बाधित है अथवा नहीं । वैसे रेसजूडीकेटा का प्रश्न Mixed question and facts and law होता है जिसको पेश किये गये दस्तावेजात एवं साक्ष्य पर विवेचन के उपरान्त ही तय किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए दावे को रेसजूडीकेटा से बाधित मानने में विधिक त्रुटि की है और जिस निर्णय के आधार पर वर्तमान दावे को रेसजूडीकेटा से बाधित माना है उसकी फोटो प्रति का अवलोकन किया । इस प्रकरण में वादिनी पक्षकार नहीं है और इस दावे एवं पूर्व के दावे में पक्षकार समान नहीं हैं । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया अवलोकन करने से भी पूर्व के निर्णय के आधार पर वर्तमान दावा रेसजूडीकेटा से बाधित होना प्रतीत नहीं होता है ।

11. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । आरआरटी 2010 (1) पेज 89 यहॉ चस्पा होती है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 22 नियम 04 एवं अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण करने के उपरान्त प्रतिवादीगण क्रम 1, 2 व 4 से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करे प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येकत तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 03.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा